

2026/30

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

तहसील का नाम

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा हेक्टेयर	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०दि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	329	373 बंगरुट डिहा 03	0.0126 1.9726	सोमा पुग गीमा बगारि - गारासिया सा. डेह खारहा रहन - रामस्थान माथरा/शामीग बेंड शाखा सांतपुर	सोमा पुग गीमा बगारि - गारासिया सा. डेह खारहा रहन - रामस्थान शामीग बेंड शाखा सांतपुर	

मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संपत्त 2075
78 तमाकरा 2076 में स्थान के
उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना
प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138
राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के
वहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
अलपर के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया
गया। रिपोर्ट मदगारी पूर्ण है। अतः
उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना
उचित है।

प०हल्का बगारिया
मू०अ०नि० बगारिया
की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के
मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार
शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण
बन्दोबस्त सक्रियताओं के दौरान/पूर्व
का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
महोदय अलपर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का
मू०अ०नि०
राजस्व अधिकारी की
रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के
आधार पर उपरोक्तानुसार
शुद्धीकरण किये जाने के
आदेश प्रदान किये जाते हैं।
हाल जमाबंदी में जमल
किया जाये।

दिनांक 19/12/25
ह० उपखण्ड अधिकारी
प०अ०नि०

दिनांक 19/12/25
ह० मू०अ०नि०
Remal
ह० मू०अ०नि०

ह० राजस्व अधिकारी
तहसीलदार आबूरोड
ह० उपखण्ड अधिकारी
जिला-सिरोही उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड